

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13798/2025

Gangadhar Shah S/o Shri Ganesh Shah, Aged About 59 Years,
R/o Baildiha, Police Station Bailhar, District Banka Bihar.
Presently Tenant At Plot No. 202, Plot Of Jimmy Khinchi, Leather
Market Street, Mandi Khatikaan Police Station Ramganj, Jaipur
(Raj.). (At Present Confined In Central Jail Jaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Sumit Chaudhary
For Respondent(s)	: Mr. Amit Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**10.10.2025** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसे पुलिस थाना **रामगंज, जयपुर उत्तर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **333/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट** में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, बरामदशुदा मादक पदार्थ गांजा की मात्रा 05 किलो 260 ग्राम होना बताया गया है जो कि गैर वाणिज्यिक मात्रा है, अतः प्रकरण में धारा 37 एन. डी.पी.एस. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज अथवा लंबित नहीं है, प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रार्थी दिनांक—25.09.2025 से अभिरक्षा में है, अन्वीक्षा में समय लगेगा,

अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जावे । विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया ।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया । प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **गंगाधर शाह पुत्र गणेश शाह** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J